



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124326

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक अपील संख्या - 1330/2026

उमर फारुक उर्फ चुन्नू तथा 2 अन्य

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता : संजय कुमार मिश्रा
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : चन्द्र प्रकाश मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार मिश्रा, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आपराधिक अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989), कुशीनगर मुख्यालय पडरौना द्वारा पारित दिनांक 15.05.2024 के तलबी आदेश को अभिखंडित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 471/2024 (राज्य बनाम उमर फारुक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 597/2023, अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 452 भारतीय दण्ड संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(ध), थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर से उद्भूत है, में धारा 323, 504, 506, 452 भारतीय दण्ड संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(ध) के अपराधों हेतु तलब किया गया है।

3. अभियोजन कहानी के अनुसार, दिनांक 01.06.2023 को लगभग 10:00 बजे पूर्वाह्न, जब परिवादी अपने घर के प्रवेश द्वार पर बैठा था, तब अभियुक्तगण, यथा उमर फारूक, लारी दीवान, अल्ताफ दीवान तथा शौकत, कथित रूप से रजिस्ट्रेशन संख्या यू. पी. 57 ए. जे. 9222 की स्कॉर्पियो वाहन से आए तथा अश्लील एवं गंदी गाली-गलौज करने लगे। जब परिवादी ने आपत्ति की, तो लारी दीवान ने कथित रूप से उसकी बाँह पकड़ ली, जिसके पश्चात शेष अभियुक्तगण ने उस पर हमला किया। यह भी अभिकथित है कि परिवादी किसी प्रकार अपने घर के अंदर भाग जाने में सफल रहा, किन्तु अभियुक्तगण ने संयुक्त रूप से तथा लारी दीवान के उकसाने पर बलपूर्वक घर में प्रवेश किया और पुनः उस पर हमला करते हुए उसे चोटें पहुँचाई। शोरगुल सुनकर स्थानीय ग्रामवासी घटनास्थल पर पहुँचे तथा हस्तक्षेप कर परिवादी को अपीलार्थीगण की चंगुल से बचाया; अन्यथा उक्त व्यक्तियों ने उसकी हत्या कर दी होती।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(ध) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि प्राथमिकी में तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अंकित कथन में भी अपीलार्थीगण द्वारा जातिसूचक शब्दों के प्रयोग किए जाने का कहीं उल्लेख नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के मध्य 'पट्टा' को लेकर सिविल विवाद विद्यमान है, जिसके



विरुद्ध अपीलार्थीगण ने निरस्तीकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है, तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उन पर दबाव बनाने के लिए वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराई है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस प्रक्रम पर साक्ष्य का गहन परीक्षण अपेक्षित नहीं है तथा केवल प्रथमदृष्ट्या मामला बनना ही देखा जाना है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा प्राथमिकी, आरोप पत्र, चोट रिपोर्ट एवं विवेचना के दौरान अंकित सूचक तथा अन्य साक्षियों के कथनों सहित संपूर्ण अभिलेख का सम्यक अवलोकन किया है।

7. प्राथमिकी के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि दिनांक 01.06.2023 को लगभग 10:00 बजे पूर्वाह्न, जब परिवादी अपने घर के प्रवेश द्वार पर बैठा था, तब अपीलार्थीगण स्कॉर्पियो वाहन से आए तथा अश्लील गाली-गलौज करने लगे। जब परिवादी ने आपत्ति की, तो अपीलार्थी संख्या 2 ने कथित रूप से उसकी बाँह पकड़ ली, जिसके पश्चात शेष अभियुक्तगण ने उस पर हमला किया। यह भी अभिकथित है कि परिवादी किसी प्रकार अपने घर के अंदर भाग जाने में सफल रहा, किन्तु अभियुक्तगण ने बलपूर्वक घर में प्रवेश किया और पुनः उस पर हमला करते हुए उसे अनेक चोटें पहुँचाईं। शोरगुल सुनकर स्थानीय ग्रामवासी घटनास्थल पर पहुँचे तथा हस्तक्षेप किया, तत्पश्चात परिवादी को अपीलार्थी की चंगुल से बचाया गया। तथापि, प्राथमिकी में जातिसूचक शब्दों का कहीं भी उल्लेख नहीं है और यद्यपि सूचक ने अपने पश्चातवर्ती कथन में यह अभिकथित किया है कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा कथित रूप से उच्चारित विशिष्ट शब्दों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. यह सुस्थापित विधि है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(ध) के प्राविधानों को आकर्षित किए जाने हेतु, अभियोजन को प्रथमदृष्ट्या यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त ने पीड़ित को इस आधार पर अपमानित करने के आशय से जानबूझकर अपमानित या आतंकित किया कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तथा यह कि उक्त कृत्य किसी ऐसे स्थान पर कारित किया गया जो लोक-दृष्टि में हो।

9. वर्तमान मामले में, प्राथमिकी अथवा विवेचना के दौरान अंकित कथनों में कहीं भी यह दर्शाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थीगण ने सूचक को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के अपेक्षित आपराधिक आशय के साथ कार्य किया। जातिगत आशय के आधारभूत तत्व के अभाव में, मात्र गाली-गलौज का प्रयोग अथवा किसी झड़प में संलिप्तता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की कठोरता को आकर्षित नहीं करती।

10. **दया भटनागर बनाम दिल्ली राज्य, 2004 (109) डी. एल. टी. 915** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 3(1)(भ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'लोक-दृष्टि में' का अर्थ ऐसे दृष्टिक्षेत्र में है, जिसमें स्थान/क्षेत्र/गाँव के लोगों के समूह की श्रवण-शक्ति, ज्ञान अथवा पहुँच सम्मिलित है, न कि उन कतिपय व्यक्तियों की, जो निजी हों तथा जो अजनबियों के समान हों तथा जो परिवादी से किसी घनिष्ठ संबंध अथवा व्यावसायिक, वाणिज्यिक या अन्य निहित स्वार्थ से संबद्ध न हों, तथा जो किसी भी रूप में उसके साथ सहभागी सदस्य न हों। यदि ऐसे व्यक्तियों के समूह में इनमें से कोई सम्मिलित हो, तो यह 'लोक-दृष्टि' की अपेक्षा को पूर्ण नहीं करेगा।

11. अभिव्यक्ति 'कोई भी स्थान जो लोक-दृष्टि में हो' की व्याख्या **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य, (2020) 10 एस. सी. सी. 710** में की गई है, तथा **तत्पश्चात करुप्पुदयार बनाम राज्य, प्रतिनिधित्व उप पुलिस अधीक्षक, लालगुडी, तिरुची तथा अन्य, 2025**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आई. एन. एस. सी. 132 सहित पश्चातवर्ती निर्णयों में इसे पुनः प्रतिपादित किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

"...इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि किसी स्थान को 'लोक-दृष्टि में' होने के लिए, वह स्थान ऐसा खुला होना चाहिए जहाँ आम जनता के सदस्य अभियुक्त द्वारा पीड़ित के प्रति किए गए उच्चारण को देख या सुन सकें। यदि कथित अपराध ऐसे स्थान पर घटित होता है जहाँ आम जनता के सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह लोक-दृष्टि में किसी स्थान पर घटित हुआ है।"

12. उपर्युक्त सुस्थापित विधिक सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के आवश्यक तत्व पूर्णतः अनुपस्थित हैं। अभियोजन का मामला, यदि पूर्णतः स्वीकार भी कर लिया जाए, तो अधिक से अधिक भूमि विवाद से उत्पन्न एक साधारण झड़प को प्रकट करता है, जिसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक रंग दिया गया है।

13. जहां तक धारा 323, 504, 506 एवं 452 भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है, घायल की चोट रिपोर्ट तथा प्राथमिकी की विषय-वस्तु से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है।

14. अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत अपीलार्थीगण के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। दिनांक 15.05.2024 का तलबी आदेश, जहां तक वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(ध) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित है, अभिखंडित किए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाने योग्य है तथा एतद्वारा अभिखंडित किया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराधों से संबंधित शेष कार्यवाही अपीलार्थीगण के विरुद्ध जारी रहेगी।

15. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आपराधिक अपील अंशतः स्वीकार की जाती है।

1 जून, 2026

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)